

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): चंद्रपुर P.S.(ठाणे): वरोरा Year (वर्ष): 2020  
 FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0434 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 17/06/2020 01:41 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): मंगलवार Date From (दिनांक पासून): 16/06/2020  
 Time Period (कालावधी): पहर 6 Date To (दिनांक पर्यंत): 16/06/2020  
 Time From (वेळेपासून): 16:00 बजे  
 Time To (वेळेपर्यंत): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक ): 17/06/2020

Time (वेळ): 01:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 004

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 17/06/2020 01:41 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): दक्षिण, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): नागपुर चंद्रपुर हायवे रोड बोर्ड चौक , वरोरा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): राहुल राणु संगेल

(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे

नाव): (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1991

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड , मतदाता कार्ड , पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड )

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

## फिराद

दिनांक १६/०६/२०२०

मैं, राहुल रानु सगेल उम्र २९ साल, थंदा ड्रायवर काम रहना सिस्टर कॉलनी, नगीनाबाग, चंद्रपुर ता. जिल्हा चंद्रपुर

मैंने ता. १५/०६/२०२० को पुलिस निरीक्षक, श्रीमती वैशाली ढाले, अन्टी करप्शन ब्युरो, चंद्रपुर इनके समक्ष एक लोकसेवक के विरुद्ध रिश्वत मांगने के संबंध में रिपोर्ट दि। - पुलिस निरीक्षक श्रीमती वैशाली ढाले इन्होंने मेरे बताए मुताबिक मेरी रिपोर्ट लिख लि। और मुझे रिपोर्ट पढके सुनाके मेरे दर्शाखत लिए। मैंने दि हुई रिपोर्ट आगे की तरह है।

मैं उपरोक्त पत्तेपर अपने परिवार के साथ रहता हू। मेरी खूद को, दो फ्लॉगविलर गाड़ीया है उसमेंसे एक गाडी मेरा ड्रायवर चलाता है। और एक गाडी स्विफ्ट गाडी न. MH31 CR 5461 मैं खुद चलाता हू। तारीख २१/०५/२०२० रोज को मैं मेरे रिश्तेदार को लेके चंद्रपुर से शिवनी (MP) यहापे छोडने जाने वाला था। कोरोना होने के वजहसे मैंने शिवनी (MP) यहा जाने के लीये ऑनलाईन परमिशन भि निकाला था। तारीख २१/०५/२०२० को मैंने रिश्तेदार को लेके तकरीबन सुबह ०५.०० बजे चंद्रपुर से शिवनी (MP) जाने के लिए निकला और तकरीबन सुबह ०९.३० बजे के करीब मैं शिवनी (MP) साहा पोहन गया। रिश्तेदार को छोडके तुरंत सुबह १०.०० बजे चंद्रपुर वापस आने के लीये शिवनी (MP) निकल गया और मैं चंद्रपुर को दोपहर में तकरीबन ०२.३० बजे चंद्रपुर पहुच गया।

ता. ११/०६/२०२० को रातके तकरीबन ०९.४५ बजे मुझे मेरे मोबाईल नं. ७७७००००८०८ पे मोबाईल नं. ७९७७२९६३६९ से फोन आया और कहने लगे मैं बरोरा पुलिस स्टेशन से API रमेश खाडे बात कर रहा हू और तेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 लेके बरोरा पुलिस स्टेशन में फल आ पवती। एँसे बोल के फोन रख दिया। दुसरे दिन ता १२/०६/२०२० के दोपहर को मैं अपने मामा सतीश सनेद रा. चंद्रपुर और मेरा साला विककी नाहायकर रा. चंद्रपुर इनको साथ लेके अपने स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 बरोरा पुलिस स्टेशन में आके API रमेश खाडे इनकी मिली। तब मुझे API रमेश खाडे साहब ने बोला कि, ता. २१/०५/२०२० को चंद्रपुर-नागपुर ड्रायवे में संस्था गांव के पास तुम्हारे स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से एक आदमीका अँक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी मर गया है। अब वो गुन्हेमें तुमको आरोपी बनाके तुम्हारी गाडी जप्त करनी पडेगी। तब मैंने उनको बोला कि, ता. २१/०५/२०२० को आते-जाने वक्त मेरे गाडीसे कोई भी अँक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिरभी API रमेश खाडे साहब मेरी कोई भी बात सुनने को तयार नहीं थे। उसके बाद वो बोले कि, तू अभी यहासे चला जा मैं बोल में तूडे फोन करता हू। फिर मैं वहासे वापस चंद्रपुर चला आया।

उसके बाद API रमेश खाडे साहब ने मुझे तिन चार दिन से लगातार बार बार फोन करके बरोरा पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे और मैं उनके कहनेपे हर बार बरोरा पुलिस स्टेशन जा रहा था। ता. १४/०६/२०२० को API रमेश खाडे के बुलाने परमैं फिरसे बरोरा पुलिस स्टेशन गया तब मुझे API रमेश खाडे ने सिधा बोला कि, मैं तुम्हे अँक्सीडेंट के गुन्हेमें आरोपी नहीं बनाता लेकिन ये काम के लिये तुम्हे मुझे १०,०००/- रुपये देने पडेगे। उसपर मैंने API रमेश खाडे साहब को बोला कि, मेरे गाडीमें कोईभी अँक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन API रमेश खाडे साहब कुछभी मानने के लिये तयार नहीं थे। और बोल रहे थे कि अगर तुम्हे आरोपी होनेसे बचना है तो तुम्हे मुझे १०,०००/- रुपये देने डि पडेगे, तू जितना क्रेट करेगा उतने पैसे बढ़ते जायेंगे। उनको १०,०००/- रुपये देने की मेरी कोई ईच्छा नहीं थी फिर भी डर के वजहसे मैं उनको हा बोलके वाहासे निकल आया।

ता. २१/०५/२०२० को चंद्रपुर से शिवनी MP जाने और आने वक्त कच्छप नागपुर रोड पर मेरे स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से किसीभी प्रकारका अँक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिरभी बरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे मुझे अँक्सीडेंट के गुन्हे में आरोपी बनाकार फरमाना चाहते है। और मुझे अँक्सीडेंट गुन्हेमें आरोपी नहीं बनाने के लिये मुझे १०,०००/- रुपये कि रिश्वत मांग रहे है।

## (h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	सिस्टर कॉलणी नगीना बाग , चंद्रपुर, चंद्रपुर , राम नगर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	सिस्टर कॉलणी नगीना बाग , चंद्रपुर, चंद्रपुर , राम नगर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7770000878

## 7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रमेश संपतराव खाडे			1. हाके च्या घरी ,व्होलटाज कॉलणी , वरोरा, वरोरा, वरोरा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, भारत

## 8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

## 9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रूपया	लाच रक्कम 2000 रु च्या 5 नोटा	10,000.00

## 10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

10,000.00

## 11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास):

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

## 12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत ):

फिर्याद नांक 16/06/2020मै, राहुल रानु संगेल उम्र 29 साल, धंदा ड्रायवर काम रहना सिस्टर कलनी, नगीनाबाग, चंद्रपुर ता.जिल्हा चंद्रपुर मैने ता. 15/06/2020 को पुलीस निरीक्षक, श्रीमती वैशाली ढाले, अन्टी करप्शन ब्युरो, चंद्रपुर इनके समक्ष एक लोकसेवक के विरुद्ध रिश्त मागने के संबंध मे रिपोर्ट दि। पुलीस निरीक्षक श्रीमती वैशाली ढाले इन्होने मेरे बताए मुताबिक मेरी रिपोर्ट लिख लि। और मुझे रिपोर्ट पढके सुनाके मेरे दस्तखत लिए। मैने दि हुरइ रिपोर्ट आगे की तरह है मै उपरोक्त पत्तेपर अपने परिवार के साथ रहता हुं। मेरी खुद की, दो फोरविलर गाडीया है उसमेसे एक गाडी मेरा ड्रायवर चलाता है। और एक गाडी स्विफ्ट गाडी न. MH31 CR 5461 मै खुद चलाता हुं। तारीख 21/05/2020 रोज को मै मेरे रिश्तेदार को लेके चंद्रपुर से शिवनी (MP) यहापे छोडने जाने वाला था। कोरोना होणे के वजहसे मैने शिवनी (MP) यहा जाने के लीये ऑनलारइन परमिशन भि निकाला था। तारीख 21/05/2020 को मेरे रिश्तेदार को लेके तकरीबन सुबह 05.00 बजे चंद्रपुर से शिवनी (MP) जाने के लिए निकला और तकरीबन सुबह 09.30 बजे के करीब मै शिवनी (MP) यहा पोहच गया। रिश्तेदार को छोडके तुरंत सुबह 10.00 बजे चंद्रपुर वापस आने के लीये शिवनी (MP) निकल गया और मै चंद्रपुर को दोपहर मे तकरीबन 02.30 बजे चंद्रपुर पहुच गया। ता. 11/06/2020 को रातके तकरीबन 09.45 बजे मुझे मेरे मोबाइल नं. 7770000878 पे मोबाइल नं. 7977296369 से फोन आया और कहने लगे मै वरोरा पुलीस स्टेशन से API रमेश खाडे बात कर रहा हु और तेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 लेके वरोरा पुलीस स्टेशन मे कल आ जाओ। ऐसे बोल के फोन रख दिया। दुसरे दिन ता. 12/06/2020 के दोपहर को मै अपने मामा सतीश ननेट रा.चंद्रपुर और मेरा साला विक्की नाहारकर रा. चंद्रपुर इनको साथ लेके अपने स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 वरोरा पुलीस स्टेशन मे आके API रमेश खाडे इनको मिला। तब मुझे API रमेश खाडे साहब ने बोला कि, ता. 21/05/2020 को चंद्रपुर-नागपुर हायवे पे येन्सा गाव के पास तुम्हारे स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से एक आदमीका अक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी मर गया है। अब वो गुन्हेमे तुमको आरोपी बनाके तुम्हारी गाडी जप्त करनी पडेगी। तब मैने उनको बोला कि, ता. 21/05/2020 को आते-जाते वक्त मेरे गाडीसे कोरइ भी अक्सीडेंट नही हुआ है। फिरभी API रमेश खाडे साहब मेरी कोरइ भी बात सुनने को तयार नही थे। उसके बाद वो बोले कि, तु अभी यहासे चला जा मै बाद मे तुझे फोन करता हु। फिर मै वहासे वापस चंद्रपुर चला आया।उसके बाद API रमेश खाडे साहब ने मुझे तिन चार दिन से लगातर बार बार फोन करके वरोरा पुलीस स्टेशन मे बुला रहे थे और मै उनके कहनेपे हर बार वरोरा पुलीस स्टेशन जा राहा था। ता. 14/06/2020 को API रमेश खाडे के बुलाने परमै फिरसे वरोरा पुलीस स्टेशन गया तब मुझे API रमेश खाडे ने सिधा बोला कि, मै तुम्हे अक्सीडेंट के गुन्हेमे आरोपी नही बनाता लेकिन ये काम के लीये तुम्हे मुझे 10,000/-रुपये देने पडेंगे। उसपर मैने API रमेश खाडे साहब को बोला कि, मेरे गाडीसे कोरइभी अक्सीडेंट नही हुआ है। लेकिन API रमेश खाडे साहब कुछभी मानने के लीये तयार नही थे। और बोल रहे थे

मेरी API रमेश खाडे इनको १०,०००/- रुपये रिश्वत देनेकी बिलकुल भी इच्छा नहीं है। इस वजह से वरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे के खिलाफ कारवाई करने के लिए मैं आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय, चंद्रपूर में खुद हाजीर होकर रिपोर्ट दे रहा हूँ। वरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे से मेरी कोई जाती दुश्मनी तथा पैसे का लेन देन का व्यवहार नहीं है।

उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्रीमती वंशाली ढाले मंडमने उनके ऑफिस के दो कर्मचारी को पंच लाने भेजे। थोड़ी देर बाद वह दोनो कर्मचारी दो पंच लेके अंटी करप्शन ऑफिस चंद्रपूर याहापे हाजीर हुये उसके बाद दोनो पंचोकी और अंटी करप्शन ऑफिस चंद्रपूर याहा मौजूद स्टॉफ कि मुझे पहचान कराके दि। उसके बाद ढाले मंडम ने दोनो पंचोको थोड़ी हकीकत बताके मेरे बताये मुताबिक लि गयी रिपोर्ट पंचोको पढ़ने के लिये दि। उसके बाद मैंने दिगयी रिपोर्ट पे मैं और दोनो पंचोने दस्तखत किये। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम ने उस रिपोर्ट पे दस्तखत किये।

उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम के सुचना के अनुसार पोकाँ रविकुमार ढेंगळे इन्होंने व्हॉईस रेकॉर्डर किस प्रकार काम करता है इसके बारे में पुरी जानकारी दि। उसके बाद ढाले मंडम ने पंच के समक्ष रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) करनी है ऐसा बताके छानबीन (पडताळणी) दरमियान बातचीत डिजिटल व्हॉईस रेकॉर्डरद्वारा रेकॉर्ड कि जाने वाली है ऐसा बताया। और सापळा कार्यवाही दरमियान लिये जाने वाली दक्षता के बारे में विस्तार से सुचनाये दि। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम ने मेरे पास से सापळा कार्यवाही के लिये उपयोग में आने वाली रिश्वत कि रक्कम १०,०००/- रुपये (रु.२०००/- कि ०५ चलनी नोट) लिये। उसवक्त स्टाफ के एक कर्मचारी ने सभी नोटोके नंबर लिख लिये। उसके बाद वही नोटो को अर्थ्रेसिन पावडर लगाना है ऐसा बताके अर्थ्रेसिन पावडर के गुणधर्म बताके उसका प्रात्यक्षिक कर के दिखाया और रिश्वत के तौर इस्तमाल कि जाने वाली सभी नोटो पर अर्थ्रेसिन पावडर लगाके उसको एक लिफाफे में डाल के लिफाफा पंचो के सामने सिलबंद किया।

उसके बाद आगे कि कार्यवाही करणे के हेतु पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम ने पंच के सामने मुझे सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश खाडे यह फिलहाल कहा पे है ये जानने के लिये फोन करणे लागाया तब खाडे साहाब ने बताया कि आज मैं काम में हु तुम कल सुबह १२.०० बजे तक पुलिस स्टेशन वरोरा में अपने मामा को साथ लेके आओ और मुजसे मिलो, तब ढाले मंडम ने मुझे बोला कि, आगेकी कार्यवाही कल ता. १६/०६/२०२० को करेंगे, तुम कल अपने मामा को लेके सुबह ९.०० बजे हमारे ऑफिस आजा ओ। उसके बाद मैं अपने घर चला गया।

आज ता. १६/०६/२०२० को मैं अपने मामा के साथ मेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से अंटी करप्शन ऑफिस चंद्रपूर याहापे सुबह ०९.०० बजे आया। तब ढाले मंडम अपने स्टाफ के साथ आफिस में हाजर थे। आगे की कार्यवाही करणे हेतु हम सभी—ढाले मंडम और उनका स्टाफ उनके ऑफिस के गाडीसे और मैं, मेरा मामा मेरे गाडीसे वरोरा के लिये निकले और वरोरा शहर के पहले एक जगह आके रुक गये।

उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम ने पंचो के सामने गैरअर्जदार इनके तरफ रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही करणी है ऐसा बताके ढाले मंडम के सुचना के अनुसार पोकाँ रविकुमार ढेंगळे इन्होंने व्हॉईस रेकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड डाल के व्हॉईस रेकॉर्डर को चालू करके पंच क्र. ०१ के आवाज में छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही हेतु जाने के बारे में प्रमाणपत्र पढके व्हॉईस रेकॉर्डर काले धागेसे मेरे कमर में किसीको दिखाई नहीं देगा इस हिसाब से सुरक्षित बांध दिया। और मेरे मेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से पंच क्र. ०१ और मेरे मामा के साथ मुझे पुलिस स्टेशन वरोरा भेजा तब दिया। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही दौरान वरोरा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश खाडे ने मुझे १०,०००/- रुपये लेके आधे—एक घंटे में आने के लिये बोला। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करके जिस जगह पे रुके हुये थे वही जगह पर वापिस आये तब पंच क्र. ०१ के आवाज में छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करणेका प्रमाणपत्र पढके व्हॉईस रेकॉर्डर बंद किया गया।

उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मंडम ने पंच क्र. ०१ व ०२ के समक्ष व्हॉईस रेकॉर्डरमें रेकॉर्ड हुये वाली बातचीत कि टेप सुनके वरोरा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश खाडे ने मुझे

कि अगर तुम्हें आरोपी होनेसे बचना है तो तुम्हें मुझे 10,000/-रुपये देने हि पड़ेंगे, तु जितना लेट करेगा उतने पैसे बढ़ते जायेंगे। उनको 10,000/-रुपये देने की मेरी कोरुइ रूइच्छा नहीं थी फिर भी डर के वजहसे मैं उनको हा बोलके वाहासे निकल आया।ता. 21/05/2020 को चंद्रपुर से शिवनी (MP) जाते और आते वक्त चंद्रपुर नागपुर रोड पर मेरे स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से किसीभी प्रकारका अक्सीडेंट नहीं हुआ है। फिरभी वरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे मुझे अक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी बनाकार फसना चाहते है। और मुझे अक्सीडेंट गुन्हेमे आरोपी नही बनाने के लिये मुझे 10,000/-रुपये कि रिश्वत मांग रहे है।मेरी API रमेश खाडे इनको 10,000/-रुपये रिश्वत देनेकी बिलकुल भी इच्छा नहीं है। इस वजह से वरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे के खिलाफ कारवारुइ करने के लिए मैं आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय, चंद्रपुर मे खुद हाजीर होकर रिपोर्ट दे रहा हूं। वरोरा पुलिस स्टेशन के API रमेश खाडे से मेरी कोरुइ जाती दुशमनी तथा पैसे का लेन देन का व्यवहार नहीं है। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्रीमती वैशाली ढाले मडमने उनके ऑफिस के दो कर्मचारी को पंच लाने भेजे. थोडी देर बाद वह दोनो कर्मचारी दो पंच लेके अन्टी करप्शन ऑफिस चंद्रपुर याहापे हाजीर हुये उसके बाद दोनहो पंचोकी और अन्टी करप्शन ऑफिस चंद्रपुर याहा मौजूद स्टाफ कि मुझे पहचान कराके दि। उसके बाद ढाले मडम ने दोनहो पंचोको थोडी हकीकत बताके मेरे बताये मुताबिक लि गयी रिपोर्ट पंचोको पढ़ने के लिये दि। उसके बाद मैंने दिगयी रिपोर्ट पे मैं और दोनो पंचोने दस्तखत किये। उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम ने उस रिपोर्ट पे दस्तखत किये।उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेगळे इन्होने व्हरइस रेकर्डर किस प्रकार काम करता है इसके बारे मे पुरी जानकारी दि। उसके बाद ढाले मडम ने पंच के समक्ष रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) करनी है ऐसा बताके छानबीन (पडताळणी) दरमियान बातचीत डिजीटल व्हरइस रेकर्डरद्वारा रेकर्ड कि जाने वाली है ऐसा बताया। और सापळा कार्यवाही दरमियान लिये जाने वाली दक्षता के बारे मे विस्तार से सुचनाये दि। उसके बाद पुलीस निरीक्षक ढाले मडम ने मेरे पास से सापळा कार्यवाही के लिये उपयोग मे आने वाली रिश्वत कि रक्कम 10,000/-रुपये (रु.2000/- कि 05 चलनी नोट) लिये। उसवक्त स्टाफ के एक कर्मचारी ने सभी नोटोके नंबर लिख लिये। उसके बाद वही नोटो को अश्रसिन पावडर लगाना है ऐसा बताके अश्रसिन पावडर के गुणधर्म बताके उसका प्रात्यक्षीक कर के दिखाया और रिश्वत के तौर इस्तमाल कि जाने वाली सभी नोटो पर अश्रसिन पावडर लगाके उसको एक लिफाफे मे डाल के लिफाफा पंचो के सामने सिलबंद किया। उसके बाद आगे कि कार्यवाही करणे के हेतु पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने पंच के सामने मुझे सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे यह फिलहाल कहा पे है ये जानने के लिये फोन करणे लागाया तब खाडे साहाब ने बताया कि आज मैं काम मे हु तुम कल सुबह 12.00 बजे तक पुलीस स्टेशन वरोरा मे अपणे मामा को साथ लेके आओ और मुजसे मिलो. तब ढाले मडम ने मुझे बोला कि, आगेकी कार्यवाही कल ता. 16/06/2020 को करेगे, तुम कल अपणे मामा को लेके सुबह 9.00 बजे हमारे ऑफिस आजा ओ। उसके बाद मैं अपणे घर चला गया। आज ता. 16/06/2020 को मैं अपने मामा के साथ मेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से अन्टी करप्शन ऑफिस चंद्रपुर याहापे सुबह 09.00बजे आया। तब ढाले मडम अपने स्टाफ के साथ आफिस मे हाजर थे। आगे की कार्यवाही करणे हेतु हम सभी-ढाले मडम और उनका स्टाफ उनके ऑफिस के गाडीसे और मैं, मेरा मामा मेरे गाडीसे वरोरा के लिये निकले और वरोरा शहर के पहले एक जगह आके रुक गये। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने पंचो के सामने गौरअर्जदार इनके तरफ रिश्वत कि मांगकी छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही करणी है ऐसा बताके ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेगळे इन्होने व्हरइस रेकर्डर मे एक नया मेमोरी कार्ड डाल के व्हरइस रेकर्डर को चालु करके पंच क्र. 01 के आवाज मे छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही हेतु जाने के बारे मे प्रमाणपत्र पढके व्हरइस रेकर्डर काले धागेसे मेरे कमर मे किसीको दिखारुइ नही देगा इस हिसाब से सुरक्षीत बांध दिया। और मेरे मेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से पंच क्र. 01 और मेरे मामा के साथ मुझे पुलीस स्टेशन वरोरा भेजा तब दिया। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही दौरान वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे ने मुझे 10,000/-रुपये लेके आधे-एक घंटे मे आने के लिये बोला। छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करके जिस जगह पे रुके हुये थे वही जगह पर वापीस आये तब पंच क्र. 01 के आवाज मे छानबीन (पडताळणी) कार्यवाही पुरी करणेका प्रमाणपत्र पढके व्हरइस रेकर्डर बंद किया गया। उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने पंच क्र. 01 व 02 के समक्ष व्हरइस रेकर्डरमे रेकर्ड हुये वाली बातचीत कि टेप सुनके वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे ने मुझे अक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी न बनाने के लिये 10,000/-रुपये मांग करके आधे-एक घंटे मे 10,000/-रुपये स्विकार करणे की तयारी दर्शाने की बाद निश्चीत की गयी। उसपर पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे के विरुध्द आगे की सापळा (ट्रप) कार्यवाही करनेका तैय किया। तभी मुझे अश्रसिन पावडर लगाइ हुइ रिश्वत कि रक्कम सिलबंद लिफाफेसे निकालकर मेरे शर्ट के उपरके जेब मे रख दि गयी। सापळा (ट्रप) कार्यवाही के दौरान लि जाने वाली दक्षताके के बारे मे सुचना देके लोकसेवक इन्होने खुद या किसी और व्यक्ती के माध्यम से रिश्वत रक्कम स्विकारनेपर अपने पन्ट कि जेब से रुमाल निकालकर खुद का चेहरा पोछके इशारा करणे का मुझे बताया गया। तब सापळा कार्यवाही टिम के सदस्योको इशारा मिलतेही रिश्वत रक्कम स्विकार करणेवाले व्यक्ती को रंगे हात पकडेंगे ऐसा मुझे बताया गया। उसी वक्त मुझे वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे इनका फोन आया और उन्होने मुझे 10,000/- रुपये लेके वरोरा शहर के बोर्ड चौक मे आने के लिये बोला।उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मडम ने उनके स्टाफ के कुछ लोगोको वरोरा शहर के बोर्ड चौक मे जाके गुप्त तरीकेसे रुकने तरीकेसे बोलके आगे भेज दिया। उसके बाद ढाले मडम के सुचना के अनुसार पोक रविकुमार ढेगळे इन्होने व्हरइस रेकर्डर चालु करके पंच क्र. 01 के आवाज मे सापळा कार्यवाही हेतु जाने के बारे मे प्रमाणपत्र पढके व्हरइस रेकर्डर काले धागेसे मेरे कमर मे किसीको दिखारुइ नही देगा इस हिसाब से सुरक्षीत बांध दिया। और मेरे मेरी स्विफ्ट गाडी न. MH 31 CR 5461 से पंच क्र. 01 और मेरे मामा के साथ मुझे वरोरा शहर के बोर्ड चौक मे भेज दिया। सापळा कार्यवाही मे ढाले मडम और उनका बाकीका स्टाफ उनके सरकारी गाडी से मेरे गाडी के पिछे आये। उसके बाद मैं,मेरे मामा और पंच क्र. 01 के साथ वरोरा शहर के बोर्ड चौक मे पोहचा तब वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे साहब मेरी पहलेसे राह देख रहे थे। तब हम तिनों मेरे गाडी से उतरकर खाडे साहब के पास गये और बातचीत कि और उन्होने मांगे हुये रिश्वत के 10,000/-रुपये अश्रसिन पावडर लागाके लारुइ हुइ रक्कम मैंने मेरे शर्ट कि जेब से निकालकर वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे इनके हात मे दे दिये। और मैंने उनको अक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी मत बनाओ और मुझे इसके बाद पुलीस स्टेशन मे मत बुलाओ ऐसी बिनती कि, तो रमेश खाडे साहब ने मुझे ठिक है बोला। उसके बाद मैंने सापळा टिम को मेरे पट कि जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोछके रिश्वत रक्कम स्विकार किये जाने का नियोजित इशारा किया। तभी ढाले मडम और उनकी सापळा टिमने वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे साहाब को रगेहात पकडकर आगे की कार्यवाही कि। रमेश खाडे, सहायक पुलीस निरीक्षक, पुलीस स्टेशन वरोरा इन्होने अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे अक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी ना करने के लिये 10,000/-रुपये रिश्वत कि पंच समक्ष मांग करके मेरे तरफ से 10,000/-रुपये कि रिश्वत स्विकार कि। इसलिये मेरी उनके खिलाफ लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्यो के अनुसार कार्यवाही होणे के लिये फियार्द है। मेरी फियार्द मैंने बताये मुताबिक लपटप पे टारुइफ कि है। प्रिट निकालके मैंने दि हुइ फियार्द मुझे पढकर बताइ। मेरे बताये मुताबिक बराबर है। समक्ष (वैशाली ढाले) पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपुर


अॅक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी न बनाने के लिये १०,०००/-रुपये मांग करके आये—एक घंटे मे १०,०००/-रुपये स्विकार करणे की तयारी दर्शाने की बाद निश्चित की गयी। उसपर पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे के विरुद्ध आगे की सापळा (ट्रॅप) कार्यवाही करनेका तैय किया। तभी मुझे अॅश्रंसिन पावडर लगाई हुई रिश्वत कि रक्कम सिलबंद लिफाफेसे निकालकर मेरे शर्ट के उपरके जेब मे रख दि गयी। सापळा (ट्रॅप) कार्यवाही के दौरान लि जाने वाली दक्षताके के बारे मे सुचना देके लोकसेवक इन्होने खुद या किसी और व्यक्ती के माध्यम से रिश्वत रक्कम स्विकारनेपर अपने पॅन्ट कि जेब से रुमाल निकालकर खुद का चेहरा पोछके इशारा करणे का मुझे बताया गया। तब सापळा कार्यवाही टिम के सदस्योको इशारा मिलतेही रिश्वत रक्कम स्विकार करणेवाले व्यक्ती को रंगे हात पकडेंगे ऐसा मुझे बताया गया। उसी वक्त मुझे वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे इनका फोन आया और उन्होने मुझे १०,०००/- रुपये लेके वरोरा शहर के बोर्डो चौक मे आने के लिये बोला।

उसके बाद पुलिस निरीक्षक ढाले मॅडम ने उनके स्टाफ के कुछ लोगोको वरोरा शहर के बोर्डो चौक मे जाके गुप्त तरीकेसे रुकने तरीकेसे बोलके आगे भेज दिया। उसके बाद ढाले मॅडम के सुचना के अनुसार मोर्चा रविकुमार ढंगळे इन्होने व्हॉईस रेकॉर्डर चालू करके पंच क्र. ०१ के आवाज मे सापळा कार्यवाही हेतु जाने के बारे मे प्रमाणपत्र पढके व्हॉईस रेकॉर्डर काले धागेसे मेरे कमर मे किसीका लिखाई नही देगा इस हिसाब से सुरक्षित बांध दिया। और मेरे मेरी स्विकार गाडी न. MH 31 CR 5461 से पंच क्र. ०१ और मेरे मामा के साथ मुझे वरोरा शहर के बोर्डो चौक मे भेज दिया। सापळा कार्यवाही मे ढाले मॅडम और उनकी बाकीका स्टाफ उनके सरकारी गाडी से मेरे गाडी के पिछे आये। उसके बाद मै,मेरे मामा और पंच क्र. ०१ के साथ वरोरा शहर के बोर्डो चौक मे पोहचा तब वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे साहब मेरी पहलसे राह देख रहे थे। तब हम तिनों मेरे गाडी से उतरकर खाडे साहब के पास गये और बातचीत कि और उन्होने मांगे हुये रिश्वत के १०,०००/-रुपये अॅश्रंसिन पावडर लगाके लाई हुई रक्कम मैने मेरे शर्ट कि जेब से निकालकर वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे इनके हात मे दे दिये। और मैने उनको अॅक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी मत बनाओ और मुझे इसके बाद पुलीस स्टेशन मे मत बुलाओ ऐसी बिनती कि, तो रमेश खाडे साहब ने मुझे ठिक है बोला। उसके बाद मैने सापळा टिम को मेरे पॅन्ट कि जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोछके रिश्वत रक्कम स्विकार किये जाने का नियोजित इशारा किया। तभी ढाले मॅडम और उनकी सापळा टिमने वरोरा पुलीस स्टेशन के सहायक पुलीस निरीक्षक रमेश खाडे साहब को रंगेहात पकडकर आगे की कार्यवाही कि।

रमेश खाडे, सहायक पुलीस निरीक्षक, पुलीस स्टेशन वरोरा इन्होने अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे अॅक्सीडेंट के गुन्हे मे आरोपी ना करने के लिये १०,०००/-रुपये रिश्वत कि पंच समक्ष मांग करके मेरे तरफ से १०,०००/-रुपये कि रिश्वत स्विकार कि। इसलिये मेरी उनके खिलाफ लाचलुचपत प्रतिबंध कायदे के अनुसार कार्यवाही होणे के लिये फियार्द है।

मेरी फियार्द मैने बताये मुताबिक लॅपटॉप पे टाईप कि है। प्रिंट निकालके मैने दि हुई फियार्द मुझे पढकर बताई। मेरे बताये मुताबिक बराबर है।

समक्ष



(वैशाली ढाले)

पुलीस निरीक्षक

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपूर

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):**


**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))**

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)				Others (इतर)	
Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (ब्रण)	Tattoo (गोदण)		
14	15	16	17	18	19	
						20

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

- 13. Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at  
(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)
- (1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम POBN62130 हाती घेतले): **UMESH NAGORAO PATIL**(I (Inspector)) / **or** (किंवा)
- (2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):  
**Rank** (पद):  
**No.**(क्र.): **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)
- (3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):  
**or** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)
- (4) **Transferred to P.S.**(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):  
**District** (जिल्हा):  
**on point of jurisdiction** (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .
- F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.** (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)
- R.O.A.C.**(आर. ओ .ए .सी.)
- 14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):  
**RAHUL**
- 15. Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

  
**Signature of Officer in charge, Police Station** (वाणे प्रशासी अधिका-याची)  
**Name** (नाव): **पोलीस निरीक्षक** UMESH NAGORAO PATIL  
**Rank**(पद): **पोलीस निरीक्षक** INSPECTOR, **वरोरा**  
**No.**(सं.): POBN62130